

कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)
//आदेश//

क्रमांक /०१ /एक /11/03/सां./2010

अशोकनगर, दिनांक ४.१.२५

मैं, पी०के शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0) मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट एकट 1958(19 ऑफ 1958) की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 194, 381(2) और धारा 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिकमित (सुपरसीड) करते हुये सिविल जिला अशोकनगर में पदरथ समस्त न्यायाधीशगणों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दांडिक कार्य का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार घोषित करता हूँ यह आदेश, आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित हैं या प्रस्तुत हुये हैं, उन पर न्यायिक/प्रशासकीय आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर	व्यवहार जिला, अशोकनगर	<ul style="list-style-type: none"> 1. समस्त सत्र प्रकरण 2. समस्त आपराधिक अपील। 3. समस्त आपराधिक पुनरीक्षण। 4. तहसील अशोकनगर, शाढ़ौरा, ईसागढ़ एवं नईसराय के पुलिस थाने एवं चौकीयों से उत्पन्न समस्त आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438,439 द.प्र.सं. 1973 5. धारा 408 एवं 409 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन। 6. बाल अधिकार आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 25 के अन्तर्गत बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित समस्त प्रकरण। 7. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील निगरानी, जो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारीगण अशोकनगर द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के विरुद्ध। 8. ऐसे समस्त प्रकरण, जो संबंधित अधि० के प्रावधानों के अनुसार सत्र न्यायाधीश द्वारा विशेष न्यायाधीश के रूप में सुनवाई योग्य हों। 9. किशोर न्यायालय बोर्ड अशोकनगर से उत्पन्न आदेश व निर्णयों के विरुद्ध अपील। 10. क्रमांक 1 से 10 तक संबंधित मामलों से उत्पन्न

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
विविध प्रकरण।			
	तहसील अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा, नईसराय		
11.	व्यवहारवाद, जो दस करोड़ एक रुपये से अधिक किसी भी मूल्य तक के मय दिवालिया प्रकरणों के।		
12.	तहसील मुंगावली/चन्देरी से उत्पन्न व्यवहारवाद, जिनका मूल्य दस करोड़ एक रु. से अधिक किसी भी मूल्य तक के, मय दिवालिया प्रकरणों के।		
13.	संपूर्ण व्यवहार जिला अशोकनगर से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक लाख रुपये से अधिक।		
14.	विशेष अधिनियम जैसे एगमार्क अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रकरण।		
15.	न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्र.व्य.न्याया वरिष्ठ खण्ड के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति.व्यवहार न्याया वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर, द्वि. व्यव0 न्याया वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर व प्र.व्य.न्याया कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर, द्वि.व्य.न्या कनिष्ठ खण्ड, एवं तृतीय व्यव0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम अति0 न्यायाधीश, अशोकनगर द्वारा निराकृत व्यवहार वादों, विविध वादों, निष्पादन वादों में परित निर्णय एवं जय पत्र आदेशों के विरुद्ध नियमित अपील एवं विविध अपीले।		
16.	म.प्र न्यास अधि.के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।		
17.	व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत आवेदन पत्र।		
18.	न्यायालय ग्राम न्यायालय अशोकनगर/चन्देरी से उत्पन्न आदेश, निर्णय व विविध आदेश के विरुद्ध अपील व रिवीजन।		
19.	कमर्शियल मामले/माध्यरथम् और सुलह अधिनियम, संपूर्ण जिला अशोकनगर।		
20.	आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले।		
21.	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से संबंधित अपील संपूर्ण अशोकनगर जिला।		

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			<p>22. सिविल जिला अशोकनगर की स्थानीय सीमाएं से उत्पन्न होने वाले अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग एवं दावों का विचारण।</p> <p>23. क्रमांक 12 लगायत 22 में उल्लेखित प्रकरणों से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन प्रकरण</p> <p>24. अन्य समस्त प्रकरण, जो इस विभाजन पत्रक में सम्मिलित नहीं है, लेकिन प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर के सुनवाई योग्य हो।</p>
	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर की हैसियत से पदस्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अशोकनगर		<p>25. तहसील अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा, नईसरांय के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति के प्रकरणों व उनसे उत्पन्न विविध प्रकरण। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कलेम प्रकरण एवं प्रवर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय मोप्र०, जबलपुर के ज्ञापन क्र० बी/5503 दिनांक 02.08.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र० 9322 (विशेष अनुमति याचिका क्र० 32448 / 2018 से उत्पन्न) गौहर मोहम्मद वि० उ०प्र० राजय रोड परिवहन कॉ० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 के पालन में मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के आलोक में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट की सुनवाई।</p>
2.	प्रथम जिला एवं अतिऽ सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर	सत्रखण्ड अशोकनगर	<ol style="list-style-type: none"> प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप. अपील, आप. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौंपे जावेंगे। न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले विविध प्रकरण समस्त। तहसील अशोकनगर, ईसागढ़, शाढ़ौरा एवं नईसरांय से उत्पन्न एक करोड़ एक ल. से दस करोड़ रुपये तक के व्यवहारवाद, मय दिवालिया प्रकरण। अन्य सभी प्रकार के साम्पत्तिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे। भू-अर्जन संबंधी प्रकरण। लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 500 से अधिक एवं 1000 रु. तक के प्रकरण। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधि. के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा. विधान के अंतर्गत

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
पारित आदेश के विरुद्ध अपीले।			
8.			तह.अशोकनगर, ईसागढ़, शाढौरा एवं नईसरांय से उत्पन्न भा.उत्तराधिकार अधिनि. के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रु. की सीमा तक।
9.			भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सत्रखण्ड अशोकनगर में उद्भूत होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय हैं।
10.			निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण।
11.			मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तह. अशोकनगर, ईसागढ़, शाढौरा एवं नईसरांय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।
12.			प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा संबंधी क्लेम प्रकरण।
13.			प्रथम/चतुर्थ जिला एवं अतिनि. सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एवं प्रथम/द्वितीय/अतिनि. जिला एवं अतिनि. सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर एवं प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र अतिनि. न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अतिनि. न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश (दीवानी/फौजदारी) जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने से उनका निराकरण करेंगे तथा उनके न्यायालय से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद/निष्पादन वाद का भी विधिवत निराकरण करेंगे तथा निराकृत दीवानी एवं क्लेम प्रकरणों से उत्पन्न सभी समस्त प्रकरणों का विधिवत निराकरण करेंगे।
14.			<u>तहसील अशोकनगर, ईसागढ़ शाढौरा एवं नईसरांय के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न विधुत अधिनियम, 2003 से उद्भूत होने वाले ऐसे समस्त विशेष सत्र प्रकरण जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।</u>
15.			मुख्यालय अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध जैसे रेप, गैंगरेप, रेप विथ मर्डर एवं उससे संबंधित समस्त अपराध।
16.			उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहारवाद एवं अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
3.	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर	सत्रखण्ड अशोकनगर	<p>17. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन कं बी/630 दिनांक 13.09.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) कं0 754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला वि0 भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के पालन में तहसील अशोकनगर, शाढ़ीरा, ईसागढ़ एवं नईसरांय से उत्पन्न “लिंचिंग एवं मौव वायलेस” से संबंधित प्रकरण।</p> <p>18. न्यायालय द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय से व्यवहार प्रकरण प्रत्याहरण किये जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहारवाद एवं अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध कार्यवाहिया एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p>
4.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त न्याया, अशोकनगर के न्याया, के प्रथम अतिरिक्त न्याया.	—	<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप.अपील, आप. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेंगे।</p> <p>2. संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। (<u>एस0सी0/एस0टी0 एकट न्यायालय में दोनों अधिनियमों</u> अर्थात् <u>पॉक्सो एकट एवं एस0सी0/एस0टी0 एकट के तहत दर्ज किये गये प्रकरणों को छोड़कर)</u></p> <p>4. <u>एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।</u></p> <p>5. नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेन्सी एकट, 2008 अंतर्गत दर्ज होने वाले प्रकरण।</p> <p>6. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले विविध प्रकरण समस्त।</p> <p>7. राजस्व जिला अशोकनगर से उद्भूत अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये अधिनियम, 2019 (2019 का 21) के मामले।</p> <p>8. उक्त न्यायालय द्वारा उपरोक्त सरल कं0 01 लगायत 07 से निराकृत एवं उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p>
5.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त न्याया,	—	रिक्त न्यायालय
	अशोकनगर के न्याया, के प्रथम अतिरिक्त न्याया.		
	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र		<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप.अपील, आप.</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
	न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश		<p>पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें।</p> <p>02. मुख्यालय अशोकनगर क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>03. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर ज्ञापन क्र0 डी/1869 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 5189/2020 प्रमोद यादव वि0 म0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 के अनुपालन में संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले <u>एस0एसी0/एस0टी0</u> एक्ट न्यायालय के वे मामले जिनमें दोनों अधिनियमों अर्थात् पॉक्सो एक्ट एवं <u>एस0सी0/एस0टी0</u> एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।</p> <p>04. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध प्रकरण।</p>
6	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति. न्यायाधीश		<p>1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप. अपील, आप. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें।</p> <p>2. अन्य सभी प्रकार के साम्पत्तिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत आपराधिक एवं व्यवहारवाद तथा अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण</p>
7.	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश मुंगावली	सत्रखण्ड अशोकनगर तहसील मुंगावली	<p>1. सत्र प्रकरण।</p> <p>2. आपराधिक अपीलें।</p> <p>3. आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>4. तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) के पुलिस थाने एवं चौकियों से उत्पन्न प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र. सं. 1973 प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण।</p> <p>5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले।</p> <p>6. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील/निगरानी जो मुंगावली स्थित न्यायिक दण्डाधिकारीगण के न्यायालयों एवं अनु.दण्डाधिकारी मुंगावली द्वारा पारित निर्णय, दंडादेश एवं आदेश के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण प्राप्त होने पर उनमें स्थगन बावत विचार किया जावेगा। तत्पश्चात् पंजीयन हेतु सत्र न्याया.अ/नगर में प्रस्तुत किया जावेगा, तदोपरांत सत्र न्याया. के आदेशानुसार</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
उनमें आगामी कार्यवाही की जावेगी।			
7.			रूपये एक करोड़ एक रुपये से दस करोड़ रुपये तक के मुंगावली एवं पिपरई तहसील क्षेत्र से उत्पन्न व्यवहार वाद।
8.			भू-अर्जन संबंधी प्रकरण।
9.			लघुवाद अधि० के अंतर्गत पाँच सौ रु. से अधिक एक हजार रु. तक के प्रकरण।
10.			भाविवाह विच्छेद अधि० 1980 के अंतर्गत एवं हिवाह अधि० 1955 के अंतर्गत प्रकरण।
11.			गर्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधि० 1890 के अधीन प्रकरण।
12.			भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रु. की सीमा तक।
13.			म०प्र० स्थान नियंत्रण अधि० के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं नगरपालिका विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील।
14.			तहसील मुंगावली एवं पिपरई के नगरपालिका अधि० के अंतर्गत आधिकारिता क्षेत्र रखने वाले मामले एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तहसील मुंगावली एवं पिपरई क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।
15.			अन्य सभी प्रकार के ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किया जावेगा।
16.			अति०/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड मुंगावली के न्यायालयों द्वारा व्यवहारवादों में पारित, निर्णय, जयपत्रों के विरुद्ध अपीले एवं आदेशों के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीले।
17.			निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण।
18.			मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधि० के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं नपा विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपीले।
19.			<u>विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के अधिनियम क्रं. -36)</u> के अन्तर्गत तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप	
1.	2.	3.	4.	
<u>विचारणीय है।</u>				
20.		तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।		
21.		माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन कं बी/630 दिनांक 13.09.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) कं0 754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला वि0 भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के पालन में तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) से उत्पन्न “लिंचिंग एवं मौव वायलेंस” से संबंधित प्रकरण।		
22.		क्रमांक 1 लगायत 21 से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरणों की सुनवाई।		
23.		पूर्व में तहसील न्यायालय मुंगावली में नियमित प्रथम/अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक जो तहसील मुंगावली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई की गई है अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में (सत्र प्रकरण/आपराधिक अपील /आपराधिक पुनरीक्षण /सिविल प्रकरण/ भू—अर्जन /मोटरदावा अधिकरण/ लघुवाद), व अन्य प्रकरण जो अपील न्यायालय से रिमांड पर पुनः सुनवाई होने हेतु वापिस होने की दशा में एवं उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं इजरा प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर निराकरण करेंगे।		
24.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगावली	तहसील मुंगावली	तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण, विविध प्रकरण एवं मोटर यान अधिरियम 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण एवं प्रवर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन कं0 बी/5503 दिनांक 02.08.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कं0 9322 (विशेष अनुमति याचिका कं0 32448/2018 से उत्पन्न) गौहर मोहम्मद वि0 उ0प्र0 राज्य रोड परिवहन कं0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 के पालन में मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के आलोक में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट की सुनवाई।	
6.	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,	—	रिक्त न्यायालय	

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
मुंगावली			
7.	जिला एवं अतिः सत्र न्यायाधीश, चंदेरी	सत्रखण्ड अशोकनगर तहसील चंदेरी	<p>1. सत्र प्रकरण।</p> <p>2. आपराधिक अपीलें।</p> <p>3. आपराधिक पुनरीक्षण।</p> <p>4. तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) के पुलिस थाने एवं चौकियों से उत्पन्न प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र. सं. 1973 प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण।</p> <p>5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले।</p> <p>6. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील /निगरानी जो चंदेरी स्थित न्यायिक दण्डाधिकारीगण के न्यायालयों एवं अनुदण्डाधिकारी चंदेरी द्वारा पारित निर्णय, दंडादेश एवं आदेश के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण प्राप्त होने पर उनमें स्थगन बावत विचार किया जावेगा। तत्पश्चात् पंजीयन हेतु सत्र न्याया. अ/नगर में प्रस्तुत किया जावेगा, तदोपरांत सत्र न्याया के आदेशानुसार उनमें आगामी कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>7. रूपये एक करोड़ एक रूपये से दस करोड़ रूपये तक के चंदेरी तहसील क्षेत्र से उत्पन्न व्यवहार वाद।</p> <p>8. भू-अर्जन संबंधी प्रकरण।</p> <p>9. लघुवाद अधिः के अंतर्गत पाँच सौ रु. से अधिक एक हजार रु. तक के प्रकरण।</p> <p>10. भाविवाह विच्छेद अधिः 1980 के अंतर्गत एवं हिविवाह अधिः 1955 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>11. गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधिः 1890 के अधीन प्रकरण।</p> <p>12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रु. की सीमा तक।</p> <p>13. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिः के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं नगरपालिका विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील।</p> <p>14. तहसील चंदेरी के नगरपालिका अधिः के अंतर्गत आधिकारिता क्षेत्र रखने वाले मामले एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तहसील चंदेरी क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।</p> <p>15. अन्य सभी प्रकार के ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण, जिन्हें समय-समय पर जिला न्यायाधीश</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			अशोकनगर द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किया जावेगा।
16.			अति०/व्यवहार न्यायाधीश व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड चंदेरी के न्यायालयों द्वारा व्यवहारवादों में पारित, निर्णय, जयपत्रों के विरुद्ध अपीले एवं आदेशों के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीले।
17.			<u>विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के अधिनियम क्र. -36) के अंतर्गत चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।</u>
18.			<u>तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।</u>
19.			माननीय उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर के ज्ञापन क्रं बी/६३० दिनांक १३.०९.२०२३ एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्र० ७५४/२०१६ तहसीन एस० पूनावाला वि० भारत संघ में पारित आदेश दिनांक १७.०७. २०१८ के पालन में तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) से उत्पन्न "लिंचिंग एवं मौव वायलेस" से संबंधित प्रकरण।
20.			क्रमांक १ लगायत १९ से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरणों की सुनवाई।
21.			मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिके अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपीले।
22.			पूर्व में तहसील न्यायालय मुंगावली में नियमित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जिनमें तहसील चंदेरी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई की गई है अथवा तहसील चंदेरी से संबंधित प्रकरण जो न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उक्त दशा में भी (सत्र प्रकरण/आपराधिक अपील /आपराधिक पुनरीक्षण /सिविल प्रकरण/ भू-अर्जन /मोटरदावा अधिकरण/लघुवाद), व अन्य प्रकरण जो अपील न्यायालय से रिमांड पर पुनः सुनवाई होने हेतु वापिस होने की दशा में एवं उनसे उत्पन्न होने वाले विविध एवं इजरा प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर निराकरण करेंगे।
23.	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चंदेरी	तहसील चंदेरी	तहसील चंदेरी एवं पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक) के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण, विविध प्रकरण एवं मोटर यान अधि० १९८८ की धारा

मोटर दुर्घटना
दावा अधिकरण,
चंदेरी

तहसील चंदेरी

प्रकरणों का स्वरूप

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
8.	प्रथम व्यवहार न्याया, वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर, शाढ़ौरा एवं नईसरायं अवधि दिनांक 01.07.2024 से 31.08.2024 तक के लिए)	<p>165(2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण एवं प्रवर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन कं0 बी/5503 दिनांक 02.08.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कं0 9322 (विशेष अनुमति याचिका कं0 32448/2018 से उत्पन्न) गौहर मोहम्मद वि0 उ0प्र0 राजय रोड परिवहन कं0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 के पालन में मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के आलोक में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट की सुनवाई।</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांन एक रु से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के। 2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेगे। 3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण। 4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपील। 5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि0 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण। 7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन। 8. मुख्यालय अशोकनगर के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियों में सुनवाई एवं निराकरण करेंगे।
9.	द्वितीय व्यव0 न्यायाठ वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर, शाढ़ौरा एवं नईसरायं अवधि दिनांक 01.03.2024 से 30.04.2024 तक के लिए)	<ul style="list-style-type: none"> 1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांन एक रु से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के। 2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेगे। 3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
10.	तृतीय व्यवठारात् वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर, शाढ़ीरा एवं नईसरायं अवधि दिनांक 01.05.2024 से 30.06.2024 तक के लिए)	<p>4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।</p> <p>5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।</p> <p>1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांक्षा एक रु से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।</p> <p>5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।</p> <p>1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांक्षा एक रु से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।</p> <p>5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।</p>
11.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के द्वितीय अति-न्यायाधीश,	अशोकनगर, शाढ़ीरा एवं नईसरायं अवधि दिनांक 01.09.2024 से 31.10.2024 तक के लिए)	<p>1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांक्षा एक रु से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।</p> <p>5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
12.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के तृतीय अंति-न्यायाधीश,	—	<p>1. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—2 पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>2. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर।</p>
13.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अंतिरिक्त न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय ईसागढ़	ईसागढ़	<p>1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांक्षण एक रु से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।</p> <p>5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।</p>
14.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के चतुर्थ अंति-न्यायाधीश,	अशोकनगर, शाढ़ौरा एवं नईसरायं अवधि दिनांक 01.01.2024 से 29.02.2024 तक एवं 01.11.2024 से 31.12.2024 तक के लिए)	<p>1. व्यवहारवाद, जिनका मूल्याकांक्षण एक रु से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।</p> <p>5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>7. कं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।</p>
15.	प्रथम व्यापार न्यायालय कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	—	रिक्त न्यायालय

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
16.	द्वितीय व्यापार न्यायालय कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	—	रिक्त न्यायालय
17.	तृतीय व्यापार न्यायालय कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	—	रिक्त न्यायालय
18.	चतुर्थ व्यापार न्यायालय कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	—	—
19.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर के प्रथम अति-न्यायाधीश	—	—
20.	व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली	तहसील मुंगावली	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक, मय दीवालिया प्रकरण।</p> <p>2. तहसील मुंगावली में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधि. के अधीन प्रस्तुत अपीले।</p> <p>3. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>5. लघुवाद अधि. के अंतर्गत एक से पाँच सौ रु. तक के प्रकरण।</p> <p>6. ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>7. तहसील मुंगावली के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।</p> <p>8. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक 1</p>

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			लगायत 7 से उत्पन्न होने पर।
21.	व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अति. न्यायाधीश	तहसील पिपरई	<ol style="list-style-type: none"> व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक, मय दीवालिया प्रकरण। तहसील पिपरई में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधि. के अधीन प्रस्तुत अपीले। मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधिरो 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण। लघुवाद अधि. के अंतर्गत एक से पाँच सौ रु. तक के प्रकरण। ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जावेंगे। तहसील पिपरई के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे। विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक 1 लगायत 7 से उत्पन्न होने पर।
22.	प्रथम व्य0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड खण्ड, मुंगावली	—	रिक्त न्यायालय
23.	द्वितीय व्य0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड खण्ड, मुंगावली	—	रिक्त न्यायालय
24	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली	तहसील मुंगावली एवं पिपरई	<ol style="list-style-type: none"> व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के। ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—2 पर अंतरित किये जावेंगे। विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर। तहसील मुंगावली एवं पिपरई के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
25.	व्या० न्याया० वरिष्ठ खण्ड चंदेरी	तहसील चंदेरी	<p>वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांच लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक, मय दीवालिया प्रकरण। तहसील चंदेरी में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधि. के अधीन प्रस्तुत अपीले। मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि० 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण। लघुवाद अधि. के अंतर्गत एक से पाँच सौ रु. तक के प्रकरण। ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीष द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेंगे। विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक 1 लगायत 6 से उत्पन्न होने पर। तहसील चंदेरी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
26.	प्रथम व्या० न्याया० कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी	तहसील चंदेरी	<ol style="list-style-type: none"> व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के। ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे। विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक,दो से उत्पन्न होने पर। तहसील चंदेरी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी

संक्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
27.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी	—	प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे। रिक्त न्यायालय
28.	न्या० ग्राम न्यायालय अशोकनगर,	जनपद पंचायत अशोकनगर,	1. व्यवहार प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वह सुनवाई करेंगे। 2. उपरोक्त से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन।
29.	न्या० ग्राम न्यायालय, चंदेरी	जनपद पंचायत, चंदेरी	1. व्यवहार प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के वह सुनवाई करेंगे। 2. उपरोक्त से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन।

नोट :-

1— विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०), विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार अधिनियम) के न्यायालय से संबंधित उक्त अधिनियम के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई में लिये जावेंगे एवं उनके अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम् अति० सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।

2— ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश की अवधि में प्रस्तुत होने वाले व्यवहारवाद सिविल न्यायालय नियम की धारा 21(5) में दिये गये निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय वादपत्र ग्रहण कर विधिवत सुनवाई करेंगे।

3— न्यायाधीशगणों के अवकाश/ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में या न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायाधीशगण का न्यायिक कार्य विभाजन पत्रक के साथ सलंगन अनुलंगनक—“ए” अनुसार न्यायाधीशगण न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करेंगे एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशगण तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के अवकाश व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम् न्यायाधीश के द्वारा संबंधित न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित किया जावेंगा।

5. श्रृंखला न्यायालय, तहसील ईसागढ़ में न्यायाधीश के अवकाश/ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में या न्यायालय रिक्त होने की दशा में संशोधित आदेश के साथ सलंगन अनुलंगनक—“ए” अनुसार न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय ईसागढ़ के न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य मुख्यालय अशोकनगर में संपादित करेंगे।

6. श्रृंखला न्यायालय ईसागढ़ के कार्य दिवसों के पश्चात् तहसील ईसागढ़ से संबंधित अत्यावश्यक कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा मुख्यालय अशोकनगर में संपादित किये जावेंगे।

7. श्रृंखला न्यायालय अवधि में पीठासीन अधिकारी के अवकाश/ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में या न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त न्यायालय से संबंधित न्यायालयीन कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य, कार्य विभाजन आदेश के साथ संलग्न अनुलंगनक—“ए” अनुसार न्यायाधीशगण संपादित करेंगे।

8. मुंगावली एवं चंदेरी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालयों के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण, दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) औपचारिक कार्य हेतु मुंगावली एवं चंदेरी स्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के अधिकृत होंगे।

9. श्रीमती रिनी खान शेख, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली जिला अशोकनगर, श्री तनबीर खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं श्रीमती बबीता प्रजापत, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर की पदोन्नति होने के फलस्वरूप कार्य सुविधा की दृष्टि से उक्त न्यायालयों से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन प्रकरणों के अत्यावश्यक कार्य एवं समस्त विविध कार्यवाहियां पदस्थ रहने की अवधि में क्रमशः श्रीमती रिनी खान शेख, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अतिरिक्त न्यायाधीश, श्री तनबीर खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं श्रीमती बबीता प्रजापत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश संपादित करेंगे।

10. मुख्यालय अशोकनगर के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहें वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापिस प्राप्त होने एवं सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां तथा समस्त अत्यावश्यक कार्य न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश संपादित करेंगे।

५१।
(पी०के० शमी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म०प्र०)

पृ० क्रमांक ८१।/एक-११-०३/सां०/२०१०

अशोकनगर दिनांक ८१।-२५

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर।
2. श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय म०प्र० खंडपीठ ग्वालियर।
3. प्रथम/द्वितीय/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
5. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर।
6. कलेक्टर, अशोकनगर।
7. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म०प्र०)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)

—:: अनुलग्नक — “ए” ::—

-: न्यायिक जिला अशोकनगर में न्यायाधीशगण की अनुपस्थिति में समर्त सिविल कार्य सम्पादन किये जाने बाबत:-

33	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तहसील अशोकनगर (श्री अखिलेश चौडक)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती बवीता प्रजापत)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री तनवीर खान)	द्वितीय व्यव. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर (श्रीमती पूनम कटारिया)	तृतीय व्यव. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर (श्रीमती दुर्गा सोलंकी)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती अर्चना रघुवंशी)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर (श्री महेन्द्र पाल सिंह)
34	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तहसील चन्देरी (श्रीमती रितिका मिश्रा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी (श्री अंशुल जैन)	व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली (श्री दीनानाथ गाडिवा)	व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अति० न्यायाधीश (श्रीमती रिनी खान शेख)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली (श्री कर्नल सिंह श्याम)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली

नोट:-

1— विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०), विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार अधिनियम) के न्यायालय से संबंधित उक्त अधिनियम के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।

2— मुंगावली एवं चंदेरी रिथ्त अति० सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालयों के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण, दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) औपचारिक कार्य हेतु मुंगावली एवं चंदेरी रिथ्त न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी कम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म०प्र०)

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (भ.प्र.) ::

पृ. क्रमांक / ५१ / एक / ११ / ०३ / सा. / २०१०

अशोकनगर, दिनांक ०८.०१.२५

प्रतिलिपि :-

- 1 माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
- 2 श्रीमान प्रिंसीपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ गवालियर।
- 3 प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अति० अति० जिला न्यायाधीश, अशोकनगर / मुंगावली / चंदेरी।
- 4 प्र. / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / अति० व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर / मुंगावली / चंदेरी / ईसागढ़
- 5 जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर
- 6 जिलाध्यक्ष, अशोकनगर।
- 7 पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
- 8 अध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर / मुंगावली / चंदेरी / ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9 प्रशासनिक अधिकारी / उप-प्रशासनिक अधिकारी अशोकनगर।
- 10 प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म०प्र०)